सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 67/2017

1. कपिल कुमार पुत्र कश्मीरीलाल जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. अमर सिंह पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. अनिल कुमार पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. इन्द्रकुमार पुत्र महावीर जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. सतपाल पुत्र महावीर जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. श्योनाथ पुत्र गोपाल जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 446 दिनांक 09.05.2016 जिसकी रूह से अपीलांट की भूमि से रास्ता के नाम के इन्तकाल स्वीकृत किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :
1.श्री विक्रम बिश्नोई , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री जगमोहन आहूजा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–25.05.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट वाके चक 1 वाई मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 के खातेदार काश्तकार है और अपनी कुल भूमि काश्त करते है। अपीलांट के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से कभी कोई रास्ता न तो था व न है, जबकि मु.न. 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 1–1 बिस्वा रास्ता का इन्तकाल संख्या 446 दिनांक 09.05.2016 को अपीलांट को बिना सुने स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलांट इस आदेश से व्यथित है और इसे अपील के माध्यम से चुनौती दे रहा है। रेशम कौर ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में रास्ता स्वीकृति हेतु बिना आधार व बिना आवश्यकता धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेशम कौर बनाम श्योनाथ वगैरा प्रस्तुत किया जो बाद में स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के यहां प्रकरण संख्या 5/16 पर पंजीकृत हुआ है। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2016 से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से डी.एल.सी. की दुगनी दर पर रास्ता मंजूर कर दिया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 के विरूद्व अपीलांट श्योनाथ ने राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां अपील

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सख्या 76/2016 दिनांक 24.04.2016 को प्रस्तुत की और इस अपील में माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 24.04.2016 को ही उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 की क्रियान्वति स्थगित कर दी और बाद सुनवाई आदेश दिनांक 28.09.2016 से अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का आदेश दिनांक 14.03.2016 निरस्त कर दिया और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित कर दिया। अपीलाधीन इन्तकाल दिनांक 09.05.2016 को स्वीकार किया गया है। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 की क्रियान्वति अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2016 को ही स्थगित कर दी थी और दिनांक 09.05.2016 को इन्तकाल स्वीकृत नहीं किया जा सकता था और आदेश प्रभाव में नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश के बावजूद अपीलांट को बिना सुने व बिना कोई नोटिस दिये इन्तकाल स्वीकृत करने में सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14.03.2016 की पालना में दर्ज किया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी का आदेश अपील में निरस्त किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा इन्तकाल स्वीकृत करने की शक्तियां सबंधित ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित की जा चुकी है। अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पचांयत को भेजा ही नहीं। चक 1 वाई मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में न तो कभी कोई रास्ता था और न वर्तमान में है। किला नम्बर 25 की भूमि संयुक्त खाता की भूमि है और किला नम्बर 25 में अपीलांट संख्या 6 की रिहायशी ढाणी बनी हुई। इसलिए भी अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त होने योग्य है। अपीलांट की भूमि में से कोई रास्ता नहीं है, न तो रास्ता चालू था और न वर्तमान में है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश की नकल हल्का पटवारी व तहसीलदार श्रीगंगानगर को स्थगन आदेश जारी होने के रोज ही दे दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के बाजवजूद भी अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत कर दिया और इस आदेश की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं दी। अब अपीलांट ने हल्का पटवारी से ऋण लेने के लिए जमाबन्दी दिनांक 19.07.2017 को ली तो अपीलांट को ही अपीलाधीन इन्तकाल की जानकारी हुई इस पर अपीलांट ने दिनांक 19.07.2017 को ही अपीलाधीन इन्तकाल की नकल ली तो अपीलांट को स्थिति का ज्ञान हुआ। इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन इन्तकाल की कोई जानकारी नहीं थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से कभी कोई रास्ता न तो था व न है, जबकि मु.न. 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 1–1 बिस्वा रास्ता का इन्तकाल संख्या 446 दिनांक 09.05.2016 को अपीलांट को बिना सुने स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलांट इस आदेश से व्यथित है और इसे अपील के माध्यम से चुनौती दे रहा है। रेशम कौर ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में रास्ता स्वीकृति हेतु बिना आधार व बिना आवश्यकता धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेशम कौर बनाम श्योनाथ वगैरा प्रस्तुत किया जो बाद में स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के यहां प्रकरण संख्या 5/16 पर पंजीकृत हुआ है। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2016 से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से डी.एल.सी. की दुगनी दर पर रास्ता मंजूर कर दिया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 के विरूद्व अपीलांट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

श्योनाथ ने राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां अपील सख्या 76/2016 दिनांक 24.04.2016 को प्रस्तुत की और इस अपील में माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 24.04.2016 को ही उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 की क्रियान्वति स्थगित कर दी और बाद सुनवाई आदेश दिनांक 28.09.2016 से अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का आदेश दिनांक 14.03.2016 निरस्त कर दिया और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित कर दिया। अपीलाधीन इन्तकाल दिनांक 09.05.2016 को स्वीकार किया गया है। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 की क्रियान्वति अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2016 को ही स्थगित कर दी थी और दिनांक 09.05.2016 को इन्तकाल स्वीकृत नहीं किया जा सकता था और आदेश प्रभाव में नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश के बावजूद अपीलांट को बिना सुने व बिना कोई नोटिस दिये इन्तकाल स्वीकृत करने में सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14.03.2016 की पालना में दर्ज किया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी का आदेश अपील में निरस्त किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा इन्तकाल स्वीकृत करने की शक्तियां सबंधित ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित की जा चुकी है। अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जाना आक्श्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पचांयत को भेजा ही नहीं। चक 1 वाई मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में न तो कभी कोई रास्ता था और न वर्तमान में है। किला नम्बर 25 की भूमि संयुक्त खाता की भूमि है और किला नम्बर 25 में अपीलांट संख्या 6 की रिहायशी ढाणी बनी हुई। इसलिए भी अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2016 से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से डी.एल.सी. की दुगनी दर पर रास्ता मंजूर कर दिया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 के विरूद्व अपीलांट श्योनाथ ने राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां अपील सख्या 76/2016 दिनांक 24.04.2016 को प्रस्तुत की और इस अपील में माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 24.04.2016 को ही उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 की क्रियान्वति स्थगित कर दी और बाद सुनवाई आदेश दिनांक 28.09.2016 से अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का आदेश दिनांक 14.03.2016 निरस्त कर दिया और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित कर दिये जाने पर उक्त अपील निर्णय के विरूद्व अपील सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2016 से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से डी.एल.सी. की दुगनी दर पर रास्ता मंजूर कर दिया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 के विरूद्व अपीलांट श्योनाथ ने राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां अपील सख्या 76/2016 दिनांक 24.04.2016 को प्रस्तुत की और इस अपील में माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 24.04.2016 को ही उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 14.03.2016 की क्रियान्वति स्थगित कर दी और बाद सुनवाई आदेश दिनांक 28.09.2016 से अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी

दी और बाद सुनवाई आदेश दिनांक 28.09.2016 से अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का आदेश दिनांक 14.03.2016 निरस्त कर दिया और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित कर दिये जाने पर उक्त अपील निर्णय के विरूद्व अपील सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।